

तारीख हुकम	श्रीराम बनाम मयल वकील हुकम या कार्यवाही मय लघुहरताक्षर जज मु. नं. 80/2022 फल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
------------	--	---

नहीं होने होने से उसका अन्तिम रूप से निस्तारण किये जाने हेतु वादपत्र को आगामी तारीख पेशी 20.09.2023 से पूर्व तलब फरमाई जाकर नजदीकी तारीख पेशी दिये जाने का निवेदन किया है। जिस पर उपस्थित वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण को सुना जाकर प्रकरण में शीघ्र सुनवाई हेतु नियत पेशी 22.08.2023 नियत की जाती है तथा वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण को उक्त तारीख पेशी से अवगत कराया गया। वास्ते अग्रिम कार्यवाही मूल वादपत्र पत्रावली दिनांक 22.08.2023 को पेश हो।

(दिलीप सिंह)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 न्यायालय, श्रीमधोपुर  
 श्रीमधोपुर (नीमकाथाना)

22.08.2023

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् मय वादी श्रीराम व प्रतिवादी संख्या 11 दीपक अग्रवाल उपस्थित आये। प्रकरण में वकील प्रतिवादीगण ने पक्षकारान् के मध्य रास्ता का विवाद के आवेदन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 (ए) का अन्तिम रूप से निस्तारण होकर पटवारी व तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 14.03.2023 एवं 17.07.2023 के अनुसार प्रतिवादीगण ने रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटा दिये जाने एवं रास्ते के रूप में तरमीम हो जाने से विचाराधीन वादपत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं होने होने से इनका अन्तिम रूप से निस्तारण किये जाने का निवेदन किया है। अतः वकूलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर मूल वादपत्र में आगे कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं होने से वादपत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः

पटवारी व  
 तहसीलदार  
 रिपोर्ट दिनांक  
 14.03.2023 व  
 17.07.2023 के  
 अनुसार प्रतिवादीगण  
 ने रास्ता राजस्व  
 रिकार्ड में कटा  
 दिये जाने एवं रास्ते  
 के रूप में तरमीम  
 हो जाने से  
 विचाराधीन वादपत्र  
 व प्रार्थना पत्र  
 अस्थाई निषेधाज्ञा  
 को आगे चलाये जाने  
 का कोई औचित्य नहीं  
 होने होने से इनका  
 अन्तिम रूप से निस्तारण  
 किये जाने का निवेदन  
 किया है। अतः वकूलाय  
 उभय पक्षकारान् की  
 सहमति के आधार पर  
 मूल वादपत्र में आगे  
 कोई कार्यवाही  
 विचाराधीन नहीं होने  
 से वादपत्र को आगे  
 चलाये जाने का कोई  
 औचित्य नहीं है। अतः

— श्रीराम

Jul 27



- लगातार -

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

श्री राग

बनाम मदन

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

दावा

अ.नं. - 80/2022

वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारिज की जाती है।  
पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



( दिलीप सिंह )

22/08/23

उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)